



राजस्थान सरकार  
निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

बीमा भवन, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर  
दूरभाष संख्या- 0141-2201061

क्रमांक- एफ.1(ए)09/पार्ट-III/संस्था/बीमा/2021/

दिनांक 27.7.2021

-:आदेश:- 236

इस विभाग में कार्यरत निम्नांकित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठयक्रम/प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने/बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी श्री/श्रीमती/सुश्री	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	पाठयक्रम/प्रतियोगी परीक्षा जिसकी अनुमति चाही गयी है
1.	रविकान्त शर्मा	कनिष्ठ सहायक	अलवर	शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर द्वारा आयोजित B.Ed. Second Year Exam 2019-20
2.	प्रवेन्द्र	कनिष्ठ सहायक	भरतपुर संभाग	महाराज सूरजमल बृज विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित B.Ed. Second Year Exam 2019-20
3.	रामकिशोर प्रजापत	कनिष्ठ सहायक	ब्यावर	एमडीएसयू, अजमेर द्वारा आयोजित B.Sc. (Hon.) Third Year Exam 2019-20
4.	अजय कुमार	कनिष्ठ सहायक	ब्यावर	राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित B.Sc.Third Year Exam 2019-20
5.	संतोष कुमावत	कनिष्ठ सहायक	जयपुर शहर	राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित M.Sc. Final Year Exam 2019-20
6.	मनोज मीणा	कनिष्ठ सहायक	चित्तौड़गढ़	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित B.Ed. Second Year Exam 2020-21
7.	गुंजन चौहान	कनिष्ठ सहायक	बीकानेर	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा आयोजित B.Ed. Second Year Exam 2019-20
8.	लेखराज मीना	कनिष्ठ सहायक	राजसमंद	राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित B.Ed. Second Year Exam 2019-20

उपर्युक्त अनुमति निम्न शर्तों के आधार पर दी जा रही है :-

- उपर्युक्त स्वीकृति आवेदित सत्र के लिए ही मान्य है।
- कार्यालय कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान न हो तथा परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य दिवसों का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- यदि कर्मचारी की कक्षा का अध्ययन का समय कार्यालय समय में हुआ तो अधिसूचना एफ. 1(2)एफडी/रूल्स/2006-1 दिनांक 22.02.2021 के अनुसार आवेदन करें।
- अध्ययन काल में राजकीय हित में अन्यत्र स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जा सकता है।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

क्रमांक- एफ.1(ए)09/पार्ट-III/संस्था/बीमा/2021/ 4750-65  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

दिनांक 27.7.2021

- संबंधित वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, मुख्यालय/संभाग/जिला कार्यालय राजस्थान को लेख है कि उक्त आदेश की प्रति स्वयं के स्तर पर संबंधित कार्मिकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- सिस्टम एनालिस्ट/संयुक्त निदेशक, सिस्टम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट <http://sipf.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करावें।
- रक्षित पत्रावली।

(सौम्या शर्मा)  
संयुक्त निदेशक (संस्थापन)